APP-A
Crim-I

FORM No. IH

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मलारना

मुकदमा सुन्दरी बनाम मुनीम

प्रा० पत्र धारा 212 RTA नं. 30/24 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.09.24	आज यह पत्रावली पेश हुई बमुलाहिजा पक्षकारान उपस्थित। बहस उभय पक्ष अधिवक्ता की सुनी गई। प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें फरीकेन हिस्सानुसार काबिज है प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना न्याय संगत बताई। वकील गैर सायलान की दलील है कि आराजी मुतनाजा उनकी सह-खातेदारी की भूमि है जिस पर गैर सायलान हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं गैर सायलान ने कोई धमकी नहीं दी गई। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में नहीं है प्रार्थना पत्र मय खर्चा के खारिज करने की प्रार्थना की है। हमने उभय पक्ष के प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन व बहस प्रा०पत्र पर मनन किया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उभय पक्ष की सहखातेदारी की भूमि ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि उभय पक्ष विवादित आराजी पर ता दौराने दावा पेचीदगीयां पैदा नहीं करें इस मद्देनजर रखते हुए प्रा०पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी पर ता फैसला दावा दिनांक 30-4-24 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा पुष्ट की जाती है। निर्णय आज दिनांक 06.09.24 को लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (सचिन यादव) उपखण्ड अधिकारी मलारना	